प्रतिलिपि आदेश पत्रिका दिनांक 15-5-19 पारित द्वारा श्री मनोज गोयल अध्यक्ष, राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर प्र.क्र. रिव्यू-842-पीबीआर/17 विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 25-6-13 पारित द्वारा राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर प्र.क्र. रिव्यू-23-पीबीआर/10

म.प्र. शासन द्वारा

कलेक्टर ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

दि ग्वालियर डेयरी लिमिटेड ग्वालियर

द्वारा के.सी. जैन प्रबंधक ग्वालियर डेयरी लिमिटेड

जिला ग्वालियर (म.प्र.) .....अनावेदक

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुनर्विलोकन 842-पीबीआर/17 जिला ग्वालियर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-05-19	यह प्रकरण स्वमेव पुनर्विलोकन में लेकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 20.04.2016 के विरूद्ध प्रारम्भ किया गया था । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम लोहारपुर स्थित भूमि को लेकर विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण प्रचलित रहे । राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी 1668-दो/2007 में पारित आदेश दिनांक 20.03.08 से अनावेदक के पक्ष में आदेश पारित हुआ । राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2008 के विरूद्ध दायर पुनर्विलोकन क्रमांक रिव्यु 23-पीबीआर/10 भी राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 25-6-13 को आदेश पारित कर निरस्त किया गया । राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 25-6-13 का अमल कराये जाने हेतु अनावेदक द्वारा प्रकरण क्रमांक विविध 9050-पीबीआर/16 प्रस्तुत किया गया, जिस पर सदस्य, राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 20-4-16 को आदेश पारित कर कम्प्यूटराईज्ड खसरों में अनावेदक के नाम प्रविष्टि कराये जाने के आदेश तहसील न्यायालय को दिये गये । सदस्य, राजस्व मण्डल द्वारा पारित इसी आदेश को इस आधार पर कि संबंधित कार्य सदस्य को आवंटित नहीं था, प्रकरण स्वप्रेरणा में लिया गया । 3/ शासकीय अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण ग्वालियर जिले का है और ग्वालियर जिला कार्य विभाजन आदेश के अंतर्गत सदस्य श्री एम.के. सिंह को आवंटित नहीं था। इस संबंध में राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.2016 प्रथम दृष्टया ही अधिकार विहीन है। तर्क में यह भी कहा गया कि उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ	

न्यायालयों के अभिलेख को भी आहूत नहीं किया गया है। अत: उनके द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार कर इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 20.04.2016 निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर के प्रकरण क्र. 1668-दो/2007 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2008 से वादोक्त भूमि दि ग्वालियर डेयरी लिमिटेड ग्वालियर के स्वत्व एवं स्वामित्व की घोषित हुई, फिर भी तहसील स्तर के कर्मचारियों द्वारा आदेश की कम्पलायन्स न करना न्यायहित में नहीं है । यह भी कहा गया कि राजस्व मण्डल के प्रकरण क्रमांक 1668-दो/2007 में पारित आदेश दिनांक 20.03.08 के विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन की ओर से अध्यक्ष राजस्व मण्डल, ग्वालियर के समक्ष प्रकरण क्रमांक पुनर्विलोकन 23-पीबीआर/2010 पंजीबद्ध हुआ था, जो आदेश दिनांक 25.06.2013 से निरस्त किया जा चुका है, इसके बाद भी आदेश का कम्प्युटराईज्ड खसरे में अमल न करने की तहसील स्तर के राजस्व कर्मकारों ने त्रुटि की है, जिसका पालन करवाये जाने हेतु इस न्यायालय द्वारा पूर्व में आदेश दिनांक 20.04.2016 पारित कर प्रकरण समाप्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

उनके द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन निरस्त कर राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 20.04.2016 स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा अपर तहसीलदार, ग्वालियर वृत्त 5 मुरार के प्रकरण क्रमांक 124/89-90/बी-121 में पारित आदेश दिनांक 3-8-07 के विरूद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष प्रकरण क्रमांक

निगरानी 1668-दो/07 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 20-3-08 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 3-8-07 निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का नाम अंकित किए जाने के आदेश दिये गये । राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रकरण क्रमांक रिव्यु 23-पीबीआर/10 प्रस्तुत किए जाने पर राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 25-6-13 को आदेश पारित कर पुनर्विलोकन आवेदन पत्र भी निरस्त किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में अनावेदक का यह तर्क विधिक रूप से सही है कि एक बार रिव्यु भी निराकृत होने के बाद मण्डल द्वारा पुनः स्वमेव पुनर्विलोकन नहीं लिया जा सकता । शासन पक्ष की ओर से मण्डल के उक्त आदेशों को निरस्त कराने का कोई प्रमाण पेश नही किया गया । अनावेदक के इस तर्क में भी बल है कि संबंधित सदस्य ने आदेश दिनांक 20-4-2016 द्वारा कोई आदेश नहीं किया है मात्र मण्डल के पूर्व आदेशों का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिये है जिसमें हस्तक्षेप जैसी कोई स्थिति नहीं है ।

6/ उपरोक्त विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में सदस्य, राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-4-2016 स्थिर रखा जाता है । स्वमेव पुनर्विलोकन की कार्यवाही समाप्त की जाती है ।

अध्यक्ष